राजीव भल्ला से पहले, जे.

जय सिंह, - याचिकाकर्ता

बनाम

सोमा @ सोम नाथ और & *दूसरों, -.उत्तरदाताओं*

गंभीर MISC. न 2002 का 52393 / एम

13 सितंबर, 2006

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 311- अभीयुक्ता कई अवसरों के बावजूद ट्रायल कोर्ट मे साक्ष्य लीड करने मे विफल रहे। शिकायतकर्ता ने धारा 311 मे दाखिल आवेदन की मांग अतिरिक्त सबूतों का नेतृत्व करने के लिए की - ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया आवेदन यह मानते हुए कि इसकी पहले समीक्षा बंद करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।कोर्ट धारा 311 से किसी भी तरीके से साक्ष्य को बंद नही कर सकते, और किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही-परीक्षण के किसी भी चरण में लागू किया जा सकता है। अदालत ने गलत तरीके से आदेश बंद करने के आदेश को बंद कर दिया। एक आवेदन के रूप में शक्तियों धारा 311 और उसी के आवेदन के अभ्यास के लिए अपने पहले के आदेश-याचिका की समीक्षा के लिए, ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज करने वाले आवेदन को अनुचित और अस्थिर कह हटा दे।

अभीनिर्धारित, कि कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र और कानून के आवेदन को खारिज कर दिया। इसने गलत तरीके से धारा 311 के तहत दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया, 16 अगस्त, 2002 के अपने आदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यह अनुमान है कानून में311 के तहत न्यायालय अनुचित और अस्थिर है। किसी भी तरह से उचित नहीं एक आदेश द्वारा साक्ष्य को बंद करने का निर्देश देना। भाव "किसी भी स्तर पर सी.आर.पी.सी. के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के तहत " धारा 311 में प्रदर्शित होना स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि यह शक्ति हो सकती है किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा आह्वान की जाए। हालांकि, एक ओवर-राइडिंग सिद्धांत के अधीन जिन साक्ष्यों को जोड़ने की मांग की गई है, उन्हें न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक, सर्वोपरि विचार "सिर्फ एक मामले का निर्णय" होना" है। इसलिए, धारा 311 में साक्ष्य को बंद करना मना है या अनुभाग के तहत दायर एक आवेदन को रोकना, ऑर्डर क्लोजिंग की समीक्षा के लिए एक आवेदन होना

मेरे विचार से, साक्ष्य अनुचित होगा। धारा 311 के प्रावधानों के लिए इस तरह की व्याख्या नहीं है उसमें भाषा से प्रवाह. इसलिए ट्रायल कोर्ट, खारिज करते समय अधिकार क्षेत्र और कानून की त्रुटि हुई याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

(पैरा 8)

आदित्य कुमार शर्मा, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*

वीरेंद्र वर्मा, के लिए वकील *उत्तरदाताओं न 1 से 7*

दीपक गिरोत्रा, एएजी, हरियाणा, *प्रतिवादी न 8 के लिए*

निर्णय

राजीव भल्ला, जे.

(1) वर्तमान याचिका में प्रार्थना, धारा 482 के तहत दायर, 16 अगस्त, 2002 और दिनांकित 23 नवंबर, 2002 (अनुलग्नक पी -1 और पी -3), न्यायिक द्वारा पारित मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला कैंट, के आदेशो को रद्द करने के लिए है। *वाइड* आदेश 16 अगस्त, 2002, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य आदेश द्वारा बंद कर दिए गए थे, जबकि *वाइड* आदेश दिनांक 23 नवंबर, 2002, एक आवेदन, द्वारा दायर किया गया शिकायतकर्ता, धारा 311 के तहत खारिज कर दिया गया था।

(2) *वाइड* आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2002, परीक्षण कोर्ट ने कई अवसरों के बावजूद सबूतों को बंद कर दिया, अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य समाप्त नहीं कर सका. अभियोजन पक्ष, इस प्रकार, जांच अधिकारी, डॉक्टर और एक आंख की जांच करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता / शिकायतकर्ता ने दायर किया आवेदन, धारा 311 के तहत, परोक्ष गवाहों की जांच की प्रार्थना करें। इस आवेदन को खारिज कर दिया गया था, यह मानते हुए कि ट्रायल कोर्ट के पास अपने आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(3) याचिकाकर्ता / शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि परीक्षण न्यायालय ने कानून और अधिकार क्षेत्र की एक गंभीर त्रुटि की. इसने आवेदन का इलाज किया, जैसा कि धारा 311 के तहत दायर किया गया था समीक्षा के लिए एक आवेदन। धारा 311। अतिरिक्त सबूत की अनुमति देने से, निषेध नहीं करता है, भले ही सबूतों के बंद होने सा आदेश हो, बशर्ते कि यह अदालत को प्रतीत हो कि सबूत, जोड़ा जाना, मामले के एक उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने आवेदन की खूबियों की सराहना नहीं की और एक गलत अनुमान पर हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया।

दायर किया गया आवेदन 16 अगस्त, 2002. के आदेश की समीक्षा करेगा इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि सबूत के रूप में, मांग को जोड़ा जा सकता है, मामले के एक निर्णय के लिए आवश्यक है, वर्तमान याचिका की अनुमति दी गई और लगाए गए आदेशों को खारिज कर दिया गया।

(4) उत्तरदाता न 1-7 का वकील सख्ती से मुकाबला करता है कि लगाए गए आदेश कानून और तथ्य की किसी भी त्रुटि से पीड़ित नहीं हैं। जैसा कि साक्ष्य आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था, ट्रायल कोर्ट ने इसे सही ठहराया 16 अगस्त, 2002 और उसके आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए, वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(5) हरियाणा राज्य के वकील इसका विरोध नहीं करते हैं।

(6) मैंने याचिकाकर्ता के लिए वकील और कागज़,किताब सा उपयोग किया है।

(7) 16 अगस्त, 2002 *अभीयुक्ता कई अवसरों के बावजूद ट्रायल कोर्ट मे साक्ष्य लीड करने मे विफल रहे। शिकायतकर्ता ने धारा 311 मे दाखिल आवेदन की मांग अतिरिक्त सबूतों का नेतृत्व करने के लिए, ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया आवेदन यह मानते हुए कि इसकी पहले समीक्षा बंद करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।*

(8) ट्रायल कोर्ट, मेरी राय में, क्षेत्राधिकार और कानून में, आवेदन को खारिज करते गलती की। यह गलत है धारा 311 के तहत दायर दिनांक 16 अगस्त, 2002। का आवेदन की स्वीकृति को, इसके आदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यह अनुमान, मेरी राय में, अनुचित है और कानून में अस्थिर है। किसी भी तरह से उचित नहीं एक आदेश द्वारा साक्ष्य को बंद करने का निर्देश देना। भाव "किसी भी स्तर पर सी.आर.पी.सी. के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के तहत " धारा 311 में प्रदर्शित होना स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि यह शक्ति हो सकती है किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा आह्वान की जाए। हालांकि, एक ओवर-राइडिंग सिद्धांत के अधीन जिन साक्ष्यों को जोड़ने की मांग की गई है, उन्हें न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक, सर्वोपरि विचार "सिर्फ एक मामले का निर्णय" होना" है। इसलिए, धारा 311 में साक्ष्य को बंद करना मना है या अनुभाग के तहत दायर एक आवेदन को रोकना, ऑर्डर क्लोजिंग की समीक्षा के लिए एक आवेदन होना

मेरे विचार से, साक्ष्य अनुचित होगा। धारा 311 के प्रावधानों के लिए इस तरह की व्याख्या नहीं है उसमें भाषा से प्रवाह. इसलिए ट्रायल कोर्ट, खारिज करते समय अधिकार क्षेत्र और कानून की त्रुटि हुई याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। नतीजतन, वर्तमान याचिका को अनुमति दी गई है और दिनांक 23 नवंबर, 2002 के आदेश को हटाया गया है। याचिकाकर्ता / शिकायतकर्ता, सीआर.पी.सी की धारा 311 के तहत परीक्षण न्यायालय द्वारा दायर आवेदन पर विचार और निर्णय करेगा। नए सिरे से, कानून के अनुसार. पार्टियों, उनके वकील, 9 अक्टूबर, 2006 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने को लिए निर्देशित होते हैं।

R.N.R.

आर. एस. मदन, जे.से समक्ष

दीपक *नारंग, — याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य — *उत्तरदाता*

गंभीर MISC. न 2004 का 8850 / एम

14 सितंबर, 2006

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 —धारा 97 — प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 — धारा.32 - ऋण से संबंधित बैंक को भुगतान में चूक सुविधाएं — बैंक ने प्रतिवादी के पिता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की —बैंक के पक्ष में सिविल डिक्री — डिक्री पास होने के बाद भी कोई भुगतान नहीं— बैंक 2002 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू कर रहा है अधिनियम — याचिकाकर्ता, बैंक के अधिकारी लोक सेवक हैं 2002 अधिनियम के तहत– याचिकाकर्ताओं में निर्धारित प्रक्रिया डिफॉल्टर के घर के बाहरी गेट पर नोटिस को चिपकाएं — पुलिस मौजूद है सूचना के समय भी रिपोर्ट कर रहा है कि अनहोनी नहीं हुई — प्रासंगिक में घर में उपलब्ध नहीं है — याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं — याचिकाकर्ताओं की कार्रवाई प्रत्यय के माध्यम से निर्वहन में है उनके आधिकारिक कर्तव्यो प्रभावित नोटिस की सेवा प्राप्त करना- याचिकाकर्ता के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था धारा 197 Cr.P.C के तहत आवश्यक है सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना।—शिकायत से कोर्ट प्रक्रिया का दुरुपयोग — याचिका की अनुमति, शिकायत के साथ-साथ आदेश भी खारिज ।

राजीव भल्ला से पहले, जे.

जय सिंह, - याचिकाकर्ता

बनाम

सोमा @ सोम नाथ और & *दूसरों, -.उत्तरदाताओं*

गंभीर MISC. न 2002 का 52393 / एम

13 सितंबर, 2006

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 311- अभीयुक्ता कई अवसरों के बावजूद ट्रायल कोर्ट मे साक्ष्य लीड करने मे विफल रहे। शिकायतकर्ता ने धारा 311 मे दाखिल आवेदन की मांग अतिरिक्त सबूतों का नेतृत्व करने के लिए की - ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया आवेदन यह मानते हुए कि इसकी पहले समीक्षा बंद करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं थाकोर्ट धारा 311 से किसी भी तरीके से साक्ष्य को बंद नही कर सकते, और किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही-परीक्षण के किसी भी चरण में लागू किया जा सकता है। अदालत ने गलत तरीके से आदेश बंद करने के आदेश को बंद कर दिया। एक आवेदन के रूप में शक्तियों धारा 311 और उसी के आवेदन के अभ्यास के लिए अपने पहले के आदेश-याचिका की समीक्षा के लिए, ट्रायल कोर्ट का आदेश खारिज करने वाले आवेदन को अनुचित और अस्थिर कह हटा दे।

अभीनिर्धारित, कि कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र और कानून के आवेदन को खारिज कर दिया। इसने गलत तरीके से धारा 311 के तहत दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया, 16 अगस्त, 2002 के अपने आदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यह अनुमान है कानून में311 के तहत न्यायालय अनुचित और अस्थिर है। किसी भी तरह से उचित नहीं एक आदेश द्वारा साक्ष्य को बंद करने का निर्देश देना। भाव "किसी भी स्तर पर सी.आर.पी.सी. के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के तहत " धारा 311 में प्रदर्शित होना स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि यह शक्ति हो सकती है किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा आह्वान की जाए। हालांकि, एक ओवर-राइडिंग सिद्धांत के अधीन जिन साक्ष्यों को जोड़ने की मांग की गई है, उन्हें न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक, सर्वोपरि विचार "सिर्फ एक मामले का निर्णय" होना" है। इसलिए, धारा 311 में साक्ष्य को बंद करना मना है या अनुभाग के तहत दायर एक आवेदन को रोकना, ऑर्डर क्लोजिंग की समीक्षा के लिए एक आवेदन होना

मेरे विचार से, साक्ष्य अनुचित होगा। धारा 311 के प्रावधानों के लिए इस तरह की व्याख्या नहीं है उसमें भाषा से प्रवाह. इसलिए ट्रायल कोर्ट, खारिज करते समय अधिकार क्षेत्र और कानून की त्रुटि हुई याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

(पैरा 8)

आदित्य कुमार शर्मा, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*

वीरेंद्र वर्मा, के लिए वकील *उत्तरदाताओं न 1 से 7*

दीपक गिरोत्रा, एएजी, हरियाणा, *प्रतिवादी न 8 के लिए*

निर्णय

राजीव भल्ला, जे.

(4) वर्तमान याचिका में प्रार्थना, धारा 482 के तहत दायर, 16 अगस्त, 2002 और दिनांकित 23 नवंबर, 2002 (अनुलग्नक पी -1 और पी -3), न्यायिक द्वारा पारित मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला कैंट, के आदेशो को रद्द करने के लिए है। *वाइड* आदेश 16 अगस्त, 2002, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य आदेश द्वारा बंद कर दिए गए थे, जबकि *वाइड* आदेश दिनांक 23 नवंबर, 2002, एक आवेदन, द्वारा दायर किया गया शिकायतकर्ता, धारा 311 के तहत खारिज कर दिया गया था।

(5) *वाइड* आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2002, परीक्षण कोर्ट ने कई अवसरों के बावजूद सबूतों को बंद कर दिया, अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य समाप्त नहीं कर सका. अभियोजन पक्ष, इस प्रकार, जांच अधिकारी, डॉक्टर और एक आंख की जांच करने में विफल रहा। याचिकाकर्ता / शिकायतकर्ता ने दायर किया आवेदन, धारा 311 के तहत, परोक्त गवाहों की जांच की प्रार्थना करें। इस आवेदन को खारिज कर दिया गया था, यह मानते हुए कि ट्रायल कोर्ट के पास अपने आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(6) याचिकाकर्ता / शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि परीक्षण न्यायालय ने कानून और अधिकार क्षेत्र की एक गंभीर त्रुटि की. इसने आवेदन का इलाज किया, जैसा कि धारा 311 के तहत दायर किया गया था समीक्षा के लिए एक आवेदन। धारा 311। अतिरिक्त सबूत की अनुमति देने से, निषेध नहीं करता है, भले ही सबूतों के बंद होने सा आदेश हो, बशर्ते कि यह अदालत को प्रतीत हो कि सबूत, जोड़ा जाना, मामले के एक उचित निर्णय के लिए आवश्यक है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने आवेदन की खूबियों की सराहना नहीं की और एक गलत अनुमान पर हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया।

दायर किया गया आवेदन 16 अगस्त, 2002. के आदेश की समीक्षा करेगा इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि सबूत के रूप में, मांग को जोड़ा जा सकता है, मामले के एक निर्णय के लिए आवश्यक है, वर्तमान याचिका की अनुमति दी गई और लगाए गए आदेशों को खारिज कर दिया गया।

(9) उत्तरदाता न 1-7 का वकील सख्ती से मुकाबला करता है कि लगाए गए आदेश कानून और तथ्य की किसी भी त्रुटि से पीड़ित नहीं हैं। जैसा कि साक्ष्य आदेश द्वारा बंद कर दिया गया था, ट्रायल कोर्ट ने इसे सही ठहराया 16 अगस्त, 2002 और उसके आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, इसलिए, वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(10) हरियाणा राज्य के वकील इसका विरोध नहीं करते हैं।

(11) मैंने याचिकाकर्ता के लिए वकील और कागज़,किताब सा उपयोग किया है।

(12) 16 अगस्त, 2002 *अभीयुक्ता कई अवसरों के बावजूद ट्रायल कोर्ट मे साक्ष्य लीड करने मे विफल रहे। शिकायतकर्ता ने धारा 311 मे दाखिल आवेदन की मांग अतिरिक्त सबूतों का नेतृत्व करने के लिए, ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया आवेदन यह मानते हुए कि इसकी पहले समीक्षा बंद करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।*

(13) ट्रायल कोर्ट, मेरी राय में, क्षेत्राधिकार और कानून में, आवेदन को खारिज करते गलती की। यह गलत है धारा 311 के तहत दायर दिनांक 16 अगस्त, 2002। का आवेदन की स्वीकृति को, इसके आदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। यह अनुमान, मेरी राय में, अनुचित है और कानून में अस्थिर है। किसी भी तरह से उचित नहीं एक आदेश द्वारा साक्ष्य को बंद करने का निर्देश देना। भाव "किसी भी स्तर पर सी.आर.पी.सी. के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के तहत " धारा 311 में प्रदर्शित होना स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि यह शक्ति हो सकती है किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में न्यायालय द्वारा आह्वान की जाए। हालांकि, एक ओवर-राइडिंग सिद्धांत के अधीन जिन साक्ष्यों को जोड़ने की मांग की गई है, उन्हें न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। मामले के उचित निर्णय के लिए आवश्यक, सर्वोपरि विचार "सिर्फ एक मामले का निर्णय" होना" है। इसलिए, धारा 311 में साक्ष्य को बंद करना मना है या अनुभाग के तहत दायर एक आवेदन को रोकना, ऑर्डर क्लोजिंग की समीक्षा के लिए एक आवेदन होना

मेरे विचार से, साक्ष्य अनुचित होगा। धारा 311 के प्रावधानों के लिए इस तरह की व्याख्या नहीं है उसमें भाषा से प्रवाह. इसलिए ट्रायल कोर्ट, खारिज करते समय अधिकार क्षेत्र और कानून की त्रुटि हुई याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। नतीजतन, वर्तमान याचिका को अनुमति दी गई है और दिनांक 23 नवंबर, 2002 के आदेश को हटाया गया है। याचिकाकर्ता / शिकायतकर्ता, सीआर.पी.सी की धारा 311 के तहत परीक्षण न्यायालय द्वारा दायर आवेदन पर विचार और निर्णय करेगा। नए सिरे से, कानून के अनुसार. पार्टियों, उनके वकील, 9 अक्टूबर, 2006 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने को लिए निर्देशित होते हैं।

R.N.R.

आर. एस. मदन, जे.से समक्ष

दीपक *नारंग, — याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य — *उत्तरदाता*

गंभीर MISC. न 2004 का 8850 / एम

14 सितंबर, 2006

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 —धारा 97 — प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 — धारा.32 - ऋण से संबंधित बैंक को भुगतान में चूक सुविधाएं — बैंक ने प्रतिवादी के पिता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की —बैंक के पक्ष में सिविल डिक्री — डिक्री पास होने के बाद भी कोई भुगतान नहीं— बैंक 2002 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू कर रहा है अधिनियम — याचिकाकर्ता, बैंक के अधिकारी लोक सेवक हैं 2002 अधिनियम के तहत– याचिकाकर्ताओं में निर्धारित प्रक्रिया डिफॉल्टर के घर के बाहरी गेट पर नोटिस को चिपकाएं — पुलिस मौजूद है सूचना के समय भी रिपोर्ट कर रहा है कि अनहोनी नहीं हुई — प्रासंगिक में घर में उपलब्ध नहीं है — याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं — याचिकाकर्ताओं की कार्रवाई प्रत्यय के माध्यम से निर्वहन में है उनके आधिकारिक कर्तव्यो प्रभावित नोटिस की सेवा प्राप्त करना- याचिकाकर्ता के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था धारा 197 Cr.P.C के तहत आवश्यक है सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करना।—शिकायत से कोर्ट प्रक्रिया का दुरुपयोग — याचिका की अनुमति, शिकायत के साथ-साथ आदेश भी खारिज ।

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उदेश्य के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नीतिका बांसल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा